

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 331 / FP/UK/Others/43838/2020 देहरादून: दिनांक: 17 अगस्त, 2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग-3।

विषय:-मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु
अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No- FP/UK/Others/43838/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी/वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने
वाले प्रपत्र पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भूमदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/Others/43838/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय
कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की
जा रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की
समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक की सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	---	---



हस्ताक्षर :

तिथि:

स्थान: देहरादून

नाम और पदनाम

**अपर प्रांतीय वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून**